

राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट
ग्राम पंचायत... ७७.२.०१.१९९९
दिनांक... २०/११/१९

०/१६

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिबिर में
पेश हुई। चाहीगण उप. हुई। प्राठपत्र प्रस्तुत
कर अवगत कराया कि हमारा गैरमान्यमान
से सम्बन्धित हो गया है। इस प्राठपत्र के नहीं
पठाना चाहते हैं।

अतः सामान्य द्वारा प्रस्तुत प्राठपत्र
के आधार पर प्राठपत्र अन्तर्गत विषयों का
मे कार्यवाही बन्द करके हुए खारिज किया
जाता है। पत्रावली फौजल मुद्दा लेकर गम्बर
से काम की जाकर बाद लक्ष्मीन शरिफ १५६९
की जाकि।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन